उत्तराखण्ड शासन आवास अनुभाग—2 ई—फाइल संख्या—32004 HOUS2-MS/1/86/2022-V-2-Awas Department देहरादून दिनांकः 30 नवम्बर, 2022

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

राज्यपाल, उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2018 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड आवास नीति (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं	1. ((1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आवास नीति (संशोधन) नियमावली, 2022 है।
प्रारम्भ	((2)	इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
	((3)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
भाग 4 के बिन्दु संख्या—17(क) का संशोधन	<u></u> [2. ((1)	उत्तराखण्ड आवास नीति नियमावली, 2018, (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान भाग–चार के बिन्दु संख्या 17(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

	स्तम्भ–1	स्तम्भ-2
	विद्यमान बिन्दु	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित बिन्दु
भाग–4	17(क)"ऐसी परियोजना जिसमें, निजी	17(क) EWS भवनों के निर्माण में
के बिन्दु	निर्माणकर्ता द्वारा भूमि में EWS आवास	शासनादेशानुसार 15 प्रतिशत भूमि
संख्या–	निर्माण किया जा रहा हो, में निजी	बंधक रखे जाने के स्थान पर, कुल
17 में	निर्माणकर्ता द्वारा सम्पादन की प्रत्याभूति	भू–क्षेत्रफल के 15 प्रतिशत भूमि के
संशोधन	(I CHOIMance Guarantee)	सर्किल रेट के आधार पर, जो मूल्य
	योजना के सम्पूर्ण भूमि क्षेत्र में से, 15	होगा उस मूल्य की प्रत्याभूति
	प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि क्षेत्रफल, जो	(Performance Bank Gurantee)
	प्रातशत विक्रय योग्य मूर्गम कन्नप्रिल, जा डी0पी0आर0 में EWS आवासों के निर्माण	सम्बन्धित विकासकत्ता स ला जाएगा
	हेतु निर्धारित भूमि क्षेत्रफल से पृथक भूमि	तथा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने एव
	हतु निधारित मूर्गि क्षेत्रफल से पृथक मूर्गि क्षेत्रफल होगा और जो किसी भी दृष्टि	लामाथियां का मवन आवटन क
	े	अपरान्त उक्त प्रत्यामात विकासकता।
	स अनुपयांगा न हो, को जिला सराप विकास प्राधिकरण⁄स्थानीय विकास	का वापस कर दा जीयगी।

File No. HOUS2-MS/1/86/2022-V-2-Aawas Department (Computer No. 32004) 2022 //2022

प्राधिकरण / उत्तराखण्ड आवास एवं	
विकास परिषद / स्थानीय नगर निकाय	
के पक्ष में, समस्त लाभार्थियों को EWS	
आवासों के कब्जा प्रदान किये जाने की	
अवधि तक, बंधक (Mortgage) रखा	
जायेगा तथा इस पर आने वाला सम्पूर्ण	
व्यय, निजी निर्माणकर्ता द्वारा वहन किया	
जायेगा। सम्पूर्ण EWS आवास परियोजना	
भूमि क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत भूमि	
क्षेत्रफल बंधक (Mortgage) रख जायेगा" ।	

भाग–7 में	3.	(1)	मूल नियमावली के बिन्दु संख्या 9क के स्थान पर
बिन्दु			निम्नलिखित बिन्दु प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्
संख्या–9(क)	का		;
संशोधन			

<u>कार्यपूर्ति एवं भुगतान तालिका</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं.	बुकिंग	प्लिन्थ लेवल	द्वितीय तल	समस्त तल	आंतरिक फिनिशिंग कार्य	बाह् य फिनिशिंग कार्य	आवंटन	अभ्युक्ति
भुगतान	धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि	धनराशि	कुल भुगतान
लाभार्थी	रू0	रू0	रू0	रू0	ক্ত0	ক্ত0	ক্ত0	रू0
	5,000.00	55,000.00	50,000.00	60,000.00	80,000.00	70,000.00	30,000.00	350,000.00
केन्द्रांश	शून्य	रू0		रू0		रू0		ন্ <u>হ</u> 0
		60,000.00		60,000.00		30,000.00		150,000.00
राज्यांश	शून्य		रू0		रू0	रू0		रू0
			40,000.00		40,000.00	20,000.00		100,000.00

Signed by Anand Bardhan (**छेसल: उ:0- क्राईटरी)**2 12:33:05 अपर मुख्य सचिव File No. HOUS2-MS/1/86/2022-V-2-Aawas Department (Computer No. 32004) 1/79867/2022

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. /HOUS2-MS/1/86/2022-V-2-Awas Department, Dated: 30 November, 2022 for general information

Government of Uttarakhand Housing Section-2 E-File Number – 32004 HOUS-2MS/1/86/2022-V-2-Awas Department Dehradun: Date 30 November, 2022

Office Memorandum

The Governor, is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand housing Policy Rules, 2018, namely:-

The Uttarakhand Housing Policy (Amendment) Rules, 2022

Short title, extent and	1.	(1)	These rules may be called the "Uttarakhand Housing Policy (Amendment) Rules, 2022."
commencement		(2)	These shall extends to the whole of State of Uttarakhand.
		(3)	It shall come into force at once.
Amendment of Point 17 A of	2.	(1)	In the Uttarakhand Housing Policy Rules 2018, (hereinafter referred to
Part 4			as the principal rules) for the existing point number 17(A) of the Part IV as set out in column-1 below,

the point as set out in column-2 shall

be substituted, namely

	Column-1	Column-2
	Existing Point	Point as hereby substituted
Amendment of point number 17	17. (A) Such projects in which EWS houses are being constructed on private land by the private developer, as a performance guarantee by the private developer, 15% saleable land area of the entire land area of the scheme, which shall be a land area different from the land area earmarked for construction of EWS houses in DPR and which is also not unusable in any view, shall be mortgaged in favor of District Level Development	be taken from the concerned developer and after the construction work having been completed and after possession of houses to the beneficiaries the aforesaid security shall be refunded

File No. HOUS2-MS/1/86/2022-V-2-Aawas Department (Computer No. 32004) 72022 7/2022

|--|--|--|

Amendment of	3.	(1)	In principal Rules in place of Point No. 9A, the
Point 17 A of			following point shall be substituted as under :-

Part 4

1	2	3	4	5	(7	0	
1	-	5	4	5	6	7	8	9
Sl.No.	Booking	Plinth Level	Second Floor	All Floors	Internal Finishing Work	External Finishing Work	Allotment	Remarks
Payment	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Total Payment
Beneficiary	Rs. 5,000	Rs. 55,000	Rs. 50,000	Rs. 60,000	Rs. 80,000	Rs. 70,000	Rs. 30,000	Rs. 3,50,000
Central Contribution	-	Rs. 60,000	-	Rs. 60,000	-	Rs. 30,000	-	Rs. 1,50,000
State Contribution	-	-	Rs. 40,000	-	Rs. 40,000	Rs. 20,000	-	Rs. 1,00,000

ø

Work Completion and Payment Table

(Anand Bardhan) Date: 30-11-2022 12:32:31 Additional Chief Secretary